संख्या-26/2022/आई/130609/2021/ 41-1002(001)/198/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 08 जनवरी, 2022

विषय:- जनपद वाराणसी के ईश्वरगंगी स्थित पातालपुरी मठ के पर्यटन विकास कार्य की प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2550/6-1-1/(1118)/2019-20, दिनांक 03-09-2021 एवं पत्र सं0-5345/6-1-1/(1118)/2019-20, दिनांक 06-12-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के ईश्वरगंगी स्थित पातालपुरी मठ के पर्यटन विकास कार्य की प्रायोजना हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0 113.04 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्तके रूप में रू0 23.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-74/2021/सं0-74/2021/4732/41-2020-176(बजट)/2019, दिनांक 03-02-2021 द्वारा निर्गत की गई थी।

3- तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन के उल्लिखित पत्रों दि0-03-09-21 एवं 06-12-21 के माध्यम से प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन रू0-रू0 190.51 लाख स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है एवं इस प्रायोजना के सम्बन्ध में निम्नांकित वस्तुस्थिति संसूचित की गई है-

(क) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, वाराणसी के पत्रांक 170 दिनाँक 17.08.2021 द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद वाराणसी के ईश्वरगंगी स्थित पातालपुरी मठ के पर्यटन विकास कार्य का प्रारम्भिक आगणन कुर्सी क्षेत्रफल की दर पर स्वीकृत किया गया था, जिसमें पुराने (भूतल) निर्मित भवन के ऊपर प्रथम तल पर आर0सी0सी0 स्ट्रैक्चर स्लैब का निर्माण कार्य का प्राविधान था परन्तु निर्मित भवन भूतल के ऊपर प्रथम तल पर आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर एवं स्लैब के निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मुख्यालय लखनऊ द्वारा इंजीनियर मैसर्स विनय एसोसिएट्स स्ट्रक्चरल डिजाईनर द्वारा कार्य स्थल पर 24/06/2021 को स्थल का निरीक्षण किया गया।

(ख) निरीक्षण में सुझाव दिया गया कि प्रथम तल पर 16 × 31 मी0 आर0सी0सी0 हाल के स्लैब एवं बीम की ढ़लाई का भार भूतल की छत पर पड़ेगा,जिससे भूतल की छत क्षतिग्रस्त एवं क्रेक होने की सम्भावना बनी रहेगी। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि भूतल की छत को तोड़कर भूतल और प्रथम तल की छत को फिर से आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाये जिससे उक्त कार्यों का पुनः आगणन बनाया गया है। गठित आगणन में भूतल के कार्य हेतु रु0 88.24 लाख व प्रथम तल के हाल के निर्माण कार्य एवं सौन्दर्यीकरण कार्य के साथ इण्टर लाकिंग, गेट एवं अन्य कार्यों का प्राविधान किया गया है।

(ग) उक्त पृष्ठभूमि में संदर्भगत पुनरीक्षित आगणन लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01.10.2020 से प्रचलित कुर्सी क्षेत्रफल एवं डी0एस0आर0 2018 की दरों के आधार पर रु0 190.51 लाख का आगणन गठित कराकर उपलब्ध कराया गया है।

(घ) महानिदेशक पर्यटन के पत्र दि0-25-10-21 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रायोजना की मूल स्वीकृति के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गई वित्तीय स्वीकृति की धनराशि से अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया है।

4- महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपरोक्त कार्यो के संबंध में उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0-190.51 लाख का विभागीय अप्रेजल समिति से मूल्यांकन /परीक्षण कराये जाने के उपरान्त आंकलित लागत रू0-187.69 लाख संस्तुत की गई है जिसके आधार पर प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0-169.85 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) है।

5- अत: उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-4 के आलोक में प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू**0-187.69 लाख** जी**0**एस**0**टी**0 सहित (**वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) इस प्रतिबन्ध सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि शासनादेश सं0-74/2021/4732/41-2020 -176(बजट)/2019 दिनांक 03-02-2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-23.00 लाख का उपयोग सम्प्रति प्रदान की जा रही पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के अधीन कराये जाने वाले कार्यो के लिया किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उपरोक्त प्रस्तर-5 में प्रदान की जा रही पुनरीक्षित स्वीकृति से संबंधित अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध निम्नवत लागू होंगी:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-74/2021/4732/41-2020 -176(बजट)/ 2019 दिनांक 03-02-2021 में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं अन्य संगत प्राविधानों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) (2) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 ,शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231 / 2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।.

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता , यू0पी0आर0एन0एस0एस0, वाराणसी ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी मण्डल
11- संबंधित पर्यटन अधिकारी ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।